कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

दिनांक 27-04-2022

पत्रांक- 1316 /24 एल0ए0

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्य मंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैर वानिकीरण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन।

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्र सं. 08 बी./यू.सी.पी./06/138/2016/एफ.सी./1317 दिनांक 22.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि, भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है।

विन्दु सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
		वन भूमि के विधिक परिस्थति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण का सौंप जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त सख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रिक्त पडे स्थानों पर 1660 पौधों का रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु रू. 615697.00 (छः लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तानब्बे) की धनराशि आर0टी0जी0एस0 एस0बी0आई0एन0 422059824750 दिनांक 28. फरवरी 2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1660 पौंधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षे तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1-66 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) क अनुरूप जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगया जाए तथा प्रताातियों की एकल प्लांटेशन से बचें । राज्य सरकार पौधारोंपण योजना क्षेत्र का नाम एवं coordinates आंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हों तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राधान शामिल किया जा सकते है।	शर्त मान्य है।
5	शुद्व वर्तमान मूल्य (क) इस सबंध में भारत सर्वोच्च न्यायालय के cWP (c) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.03.2008 एव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पंत्राक 5–1/1998 एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.713 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्याावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि कोई हो जो अतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभ्किरण प्रत्यावर्तित अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) शर्त सख्या 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वर्तमान एन0पी0वी0 की धनराशि रू. 602485.00 (छः लाख दो हजार चार सौ पिचासी) की धनराशि आर0टी0जी0एस0एस0बी0आई0एन0 422059824750 दिनांक 28. फरवरी 2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है, प्रमाण पत्र सलंग्न है (ख) एन0पी0वी0 में दरों में यदि बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 6 मी. चौड़ाई में ही 166 Tree including 34 aaplings से अधिक नही होगी। एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	बिन्दु संख्या 6 के अनुपालन में दिये गये दिशा निर्देशों पर कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7	State Govt will subimit the village Level Committee proceedings of Gadora village in compliance of Fra	प्रमाण पत्र सलंग्न है।
8	State Govt will inforun to thes office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stege ii approval as per guidelines para 1i The state Govt will stricty monitor and ensure thet no furrher activity is carried out under such permission after the expiry of one years the date of such permissan.	शर्त मान्य है।

9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पार्टल (https: //parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक चनीकरण कोष प्रबधंक और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानातरित जमा किया जाय।	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि आर0टी0जी0एस0 द्वारा ई–पार्टल (https: //parivesh-nic-in) के माध्यम से जमा कर दी गयी है।
10	एफ॰आर॰ए॰ 2006 का पूर्ण अनुपालन सबंन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
11	सुराक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज मोटर मार्ग पर लगा दिये जायेगें।
12	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगिताकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ल–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव का कोई भी ले–आउट बदला नही जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	वन भूमि में निर्माण कार्य के दौरान कोई भी श्रमिक शिविर का निर्माण कार्य नही किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यकीय वन विभाग निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	सड़क निर्माण के दौरान मजदूरो को वैकल्पिक ईधन जैसा केरोसीन आदि की व्यवस्था की जायेगी। जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा जा सके।
16	सबंन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यवार्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंनदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नही बनाया जायेगा।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा ब्यक्ति हस्तातरिंत नही की जायेगी।	भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य एजेन्सी विभाग अथवा ब्यक्ति को हस्तातन्रित नही करेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उलग्घन वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के सरंक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वादिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्वइनका स्थिरकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थलों पर मक डिस्पोजल प्लान तैयार कर उसमें उत्सर्जित किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदिइस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्यसरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https: //parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि, उक्त अनुपालन आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरक्षंण इन्दिरानगर फारेस्ट का देहरादून उत्तराखण्ड को अग्रसारित करने की कृपा करें।

सलंग्न :- 4 प्रतियों में

O/C

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

पत्रांक 1316 / दिनांकित

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122   E MaiL :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – कैम्पा / मेमो   दिनांक–गोपेश्वर 28/02 / 2022

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
गोपेश्वर।

विषय :– **सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों पर एन॰पी॰वी॰, क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि इस खण्ड के अधीन मा॰ मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां– दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष चैक सं॰ 406095 दि॰ 04.02.2022 – रु॰ 1218182.00 मूल में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, कि संलग्न चैक का **उत्तरांचल कैम्पा, खाता सं॰ 150896115018704, IFSC No- UBIN0903710** के पक्ष में NEFT/RTGS द्वारा भुगतान करने का कष्ट करें। ताकि निर्माण सम्बन्धी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न – चैक मूल में 1 नं॰

(इं॰ प्रवीण बहुखण्डी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रां॰खं॰ लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर
28 FEB 2022
Deepa Sharma

JA

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-02-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115018704
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/138/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	1218182/-

Amount in Words :Twelve Lakh Eighteen Thousand One Hundred and Eighty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896115018704 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर-0320
20 FEB 2022

				attached		

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17.

Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	13/07/2016		State Govt. Officer	No Data	

17.

Stage-I Clearance Report

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Dehradun	Regional Office	8B/UCP/06/138/2016/FC	22/09/2020	

18. **Payment made by User Agency**

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Recieved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/15018/2015	ROAD150182015704	1218182	1218182	28 Feb 2022	SBIN422059824750	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	

23. **Stage-II Clearance Details**

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UK/ROAD/15018/2015		Approved In-Principle	No Data

Print

प्रमाण पत्र

विषय– जनपद चमोली में माननीय मुख्य मंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकीरण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन।

प्रमाणित किया जाता है कि, एन0पी0वी0 दरों में यदि बढ़ोतरी होती है तो, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अतिरिक्त धनराशि वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़ लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

प्रपत्र — 23.1

दिनांक 07/04/2020 को ग्रामसभा गडोली की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

कम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	बद्री प्रसाद रतूड़ी	[signature]
2	जयन्ती प्रसाद [illegible]	[signature]
3-	हरीश चन्द्र	हरीश चन्द्र
4	नवीन वैष्णव	[signature]
5	अयोध्या प्रसाद एवं ज्येष्ठ प्रमुख विकास खण्ड चौबट्टाखाल	[signature]
6	भास्करानन्द रतूड़ी	[signature]
7	जगदम्बा प्रसाद [illegible]	[signature]
8-	सुशील कुमार	Kumar
9	अर्जुन सिंह	अर्जुन सिंह
10	अशोक	अशोक
11	अनुराग	[signature]
12	लोकानन्द	[signature]
13	दिनेशचन्द्र डबराल	[signature]
14	संजय प्रसाद	[signature]
15	महेन्द्र सिंह	[signature]
16	कुंवरसिंह	[signature]

प्रपत्र – 23.1

(5)

दिनांक 07/02/2020 को ग्रामसभा गड़ेरा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भगवत सिंह चौहान	[illegible]
2	दीपक चन्द्र कैलखुरा	[illegible]
3	कृष्ण मुरारी भट्ट	[illegible]
4	कैलाश सती सकरम	[illegible]
5	Rudesh Dabral	Rdeey
6	श्रीमती लीला कैलाके सभासद गड़ेरा वार्ड (03)	Leela; श्रीमती लीला कैलखुरा सदस्य वार्ड 03 नगर पंचायत पोखरी
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	Vijay Hatwal	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	सत्यप्रकाश	सत्यप्रकाश
12	[illegible]	[illegible]
13	Ramesh Chandra	[illegible]
14	सुरेन्द्र [illegible]	[illegible]
15	शैलेन्द्र सती	[illegible]
16		[illegible]

DM FRA Letter

परियोजना का नाम :

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में ग्रा०पं० ल्वांह महरगांव अन्तर्गत रा०इ०का० गडेरा से महरगांव (बमेठी) तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.713 हे0 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.713 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नही है। ग्राम सभाओ की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत
हस्ता० नरेन्द्रलाल
दिनांक........
... दशोली, चमो...

(7)

प्रपत्र –23.1

दि. 16/11/15 को ग्राम सभा लवाँह की बैठक सम्पन्न हुई

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्र.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बिजेन्द्र लाल	बिजेन्द्र लाल
2)	हरीश लाल	हरीश लाल
(3)	आलमूलाल	आलमूलाल
4)	सुनील कोठियाल क्षे० प० सदस्य बाड़ुला	[signature]
5	रुकमड़ी देवी	रुकमड़ी देवी
6	लक्ष्मड़ लाल	लक्ष्मड़ लाल
7	जयहिन्द लाल	जयहिन्दलाल
8	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
9	द्रोपणी देवी	द्रोपणी देवी
10	घनश्यामलाल	घनश्यामलाल
11	मदन लाल	मदन लाल
12	सावित्री देवी	सावित्री देवी
13	बबीता देवी	बबीता देवी
14	सरोजनी देवी	सरोजनी देवी
15	लखपत लाल	लखपत लाल
16	राधा देवी	राधा देवी
17	श्री अशोक प्रसाद डबराल	श्री अशोक प्रसाद डबराल
18	श्रीमति मंजू देवी	श्रीमति मंजू देवी
19	सर्वेश्वर प्रसाद डबराल	सर्वेश्वर प्रसाद
20	कीर्ति पुष्पा देवी	कीर्ति पुष्पा देवी
21	विशेश्वरी देवी	विशेश्वरी देवी
22	राजु लाल	राजु लाल
23	रामेश्वरी देवी	रामेश्वरी देवी
24	नागेन्द्र लाल	नागेन्द्र लाल
25	सतेश्वरी देवी	सतेश्वरी देवी
26	गजेन्द्र लाल	गजेन्द्र लाल
27.	सरिता देवी	सरिता देवी
28	मदन लाल	[signature]

29	[illegible]	Jeewan lal
30	रेखा देवी	रेखा देवी
31	खुशाल लाल	खुशाल लाल
32	सुरेशी देवी	सुरेशी देवी
33	बिशेश्वरी देवी	बिशेश्वरी देवी
34	गुड्डू लाल	श्री गुड्डू लाल
35	पुष्कर लाल	पुष्कर लाल
36	संदीप लाल	संदीप लाल
37	विनोद लाल	विनोद लाल
38	महेश्वरी देवी	महेश्वरी देवी
39	मनारी लाल	मनारी लाल
40	पदमेन्द्र लाल	पदमेन्द्र लाल
41	गंगा देवी	गंगा देवी
42		

प्रपत्र — 23.1

दिनांक 06/02/2020 को ग्रामसभा लुहाँ की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :- मेहरगाँव ग्राम सभा लुहाँ का तोक है।

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
0	विपिन कुमार	[illegible]
(1)	लखपत लाल	लखपत लाल
(2)	मुकेश कुमार	मुकेश कुमार
(3)	[illegible]	[illegible]
(4)	सरिता देवी	सरिता देवी
(5)	Sunil Kumar	[illegible]
(6)	विशेश्वरी देवी	विशेश्वरी देवी
(7)	[illegible] lal	[illegible] lal
(8)	शाजिलाल	शाजिलाल
(9)	महेश्वरी देवी	महेश्वरी देवी
	विशेश्वरी देवी	विशेश्वरी देवी
(10)	गुड्डू लाल	गुड्डू लाल
(11)	पुष्कर लाल	पुष्कर लाल
(12)	मनोरी लाल	मनोरी लाल
(13)	हरीश लाल	हरीश लाल
(14)		
(15)	कुलदीप	कुलदीप

ह० [signature] 6/2/2020
वार्ड-28 दिगोली, दशोली (चमोली)

DM FRA Letter

[signature] पाल
वि० सरपंच
वन पंचायत मेहरगाँव
जिला-चमोली (उत्तराखण्ड)

प्रधान ग्राम पंचायत लुहाँ
ह० [signature]
दि० 6/2/2020
वि०ख० दशोली, चमोली

दिनांक 06/02/2020 को ग्रामसभा लुहॉ की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :– सहमति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गडोरा

क्रम सं॰	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	[illegible]	[illegible]
(2)	नवीनचंद	नवीनचंद
(3)	[illegible]	[illegible]
(4)	नौमा देवी	नौमा
(5)	नरेन्द्र सिंह	[illegible]
(6)	[illegible] सिंह	[illegible]
(7)	[illegible] सिंह	[illegible]
(8)	आसमा देवी	[illegible]
(9)	रिंकी देवी	Rinki
(10)	ऊषा देवी	ऊषा
(11)	वीना देवी	Beena
(12)	सुमन देवी	सुमन देवी
(13)	किशन सिंह	[illegible]
(14)	देवेन्द्र सिंह	[illegible]
(15)	सन्तोष	[illegible]
16		

DM FRA Letter

प्रधान ग्राम पंचायत ल्वांह
ह॰ [illegible]
दि॰ 6/2/2020
वि॰ख॰ दशोली, चमोली

[illegible]
ह॰ [illegible]
दि॰ 6/2/2020

[illegible] 6/2/2020
क्षेत्र पंचायत सदस्य
वार्ड-28 [illegible] (चमोली)

~~सहमति प्रमाण~~

सहमति प्रमाण पत्र — ग्राम पंचायत गडोरा

1. श्री शम्भुप्रसाद सती जी –
2. " सच्चिदानंद जी हटवाल –
3. " पुरुषोत्तम दत्त सती –
4. " लोकानंद हटवाल –
5. " नवीन भटियाल –
6. " कैलाश सती –
7. " लक्ष्मी दत्त देवली –
8. " बालकृष्ण सती –
9. " कृष्ण मुरारी
10. " योगम्बरसिंह
11. " विजय हटवाल
12. " ललित सती
13. श्रीमती सुशीला देवी –
14. " तिलोत्तमा देवी – तिलोत्तमादेवी
15. " गुड्डी देवी –
16. " गीतादेवी गीतादेवी

अनीता देवी
प्रेमादेवी
देवकी देवी
सुशीला देवी
ऊषा देवी
लीला देवी
गुड्डी देवी
राजेश्वरी देवी
मनोरमा
विजया देवी
बीना देवी
उमा देवी

रमा देवी
ऊषा निवाल
शान्ता देवी
विनीता देवी
जीवन्ती देवी
सतीं देवी
मंजू देवी
धनेश्वरी

सरपंच वन पंचायत गडोरा चमोली

ह० सुनील के... मो...
...क्षेत्र पंचायत
...(चमोली)
26/07/17

प्रधान ग्राम पंचायत ...
हस्ता० नरेन्द्र लाल
दिनांक 26-7-2017

प्रधान ग्राम पंचायत गडोरा
ह० मंजू देवी
दिनांक 26/7/17

12

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

महोदय,

गडोरा - किरुली मोटर मार्ग के किमी० 4 से मेहरगांव मोटर मार्ग लम्बाई 1.5 किमी० के समरेखन से समस्त ग्रामवासी सन्तुष्ट है।

अतः इस समरेखण से ग्रामवासीयों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है।

1) सुरेश्वरी देवी
2) हरीश लाल
3) सुशील
4) सरिता देवी
5) जयहिन्द लाल
) गुड्डी देवी
वीरेन्द्र लाल
नरेश लाल
नरेन्द्र लाल

10) मदन लाल
11) आलम लाल
12) राजू लाल
13) घनश्याम
14) सतेश्वरी
15) रुकमणी देवी
16) रामेश्वरी
17) विशेश्वरी
18) गंगा देवी
19) पुष्पा देवी
20) रंजना देवी
21) गुड्डी देवी
22) [illegible]

भवदीय
समस्त ग्रामवासी
मेहर गांव

फोटोप्रति प्रमाणित

PC- A1105100

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

नरेन्द्र लाल
28-7-2017

13

प्रपत्र 232

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा०इ०का० गडोरा से महरगाँव (बमेठी) मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली ....जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में रा०इ०का० गडोरा से महरगाँव बमेठी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि० 16/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा० सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:–

1– श्री	अवधेश कुमार सिंह	उपजिलाधिकारी (सदर)	अध्यक्ष
2– श्री	एस० एस० ... सुमन	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3– श्री	आर० एल० खण्डूड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी,	सदस्य/सचिव
4– श्री	सुनील कोठियाल- बादुलावाई	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत ग्राम महरगाँव बमेठी . ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा०इ०का० गडोरा से महरगाव (बमेठी) तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा० सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा० सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष	उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य

प्रभागीय ... अधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

पं० सुनील कोठियाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत
बादुल (चमोली)

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 04-10-2017 at time 17:03Hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.713 hect for the construction of Construction of MaherGaon motor road from Luhwa-Degoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 1.50 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 04-10-2017

4/10/17

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

जिलाधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

15

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 04-10-2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF). Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights. Act 2006 (FRa. for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.713 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of MaherGaon motor road from Luhwa-Degoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 1.50 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.713 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature
4/10/17

(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

16

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून-248001
दूरभाश: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/138/2016/एफ0सी0/1317 दिनांक: 22/09/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली के अंतर्गत ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.713 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–814/x-4-16/1(240)/2016 दिनांक 22.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/15018/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनायें चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 05.09.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – **जनपद – चमोली के अंतर्गत ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.713 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
   क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1660 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.66 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) के अनुरूप जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
   (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.713 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
   (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 6 मी0 चौड़ाई में ही 166 trees including 34 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. State Govt. will submit the Village Level Committee proceedings of 'Gadora' village in compliance of FRA

8 State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

9 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

10 एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

11 संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

13 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

16 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

17 परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

18 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

19 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

21 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

22 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

23 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनाव''यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

24 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

25 अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

(18)

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 119 /12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक 08/07 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.713 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/138/2016/एफ0सी0/1317 दिनांक 22.09.2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार पूर्व में इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में आपकी पत्र सं0 1136/24 एल0ए0 दिनांक 28.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2020–21 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 में पुनः मांग पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2021–22 में संशोधित दरों के अनुसार मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

1– शर्त सं0 01 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रिक्त पड़े स्थानो पर 1660 पौधो का रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि / Ca rate of 1.66 है0 area में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 1459/3–5–2 पी0ओ0 दिनांक 01.07.2021 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित दर रू0 3,70,902.00 के अनुसार 1.66 ha x 3,70,902.00=6,15,697.32 या देय धनराशि रू0 6,15,697.00 मात्र जमा की जानी है।

2. शर्त सं0 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार देय 0.713 है0 दर 8,45,000.00= रू0 6,02,485.00 जमा की जानी है।

अतः उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।